

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर

ए.बी.ए. नंबर 449/2026

नया रामनगर थाना कांड संख्या 07/2026

गोपाल प्रसाद बनाम बिहार राज्य।

04.04.2026

आवेदक गोपाल प्रसाद के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रवि शक्ति वर्मा के द्वारा संचालित किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक ने पूर्व में एबीए सं0 209/2026 दाखिल किया था, जिसे वापस ले लिया गया। आवेदक इसके अतिरिक्त अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन के पैरा 3 के अनुसार आवेदक के विरुद्ध एक अन्य वाद 04/2021 दर्ज है।

उभय पक्षों को सुना।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक रोहित कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 30.01.2026 को समय 07:45 रात्रि में सूचक अपने घर के पास सड़क पर था, अचानक बबलू यादव, गोपाल यादव एवं सौरभ कुमार तथा इनके घर की महिलाएं तथा लड़कियां पिस्टल, लाठी, डंडा लेकर गाली-गलौज करते हुए और कहा कि तुम्हीं हमको शराब बरामदगी के केस में पकड़वाए हो, आज जान से मार देंगे। सूचक ने कहा कि गलत शक मत कीजिए। इस पर बबलू यादव ने लोहे के रड से सिर पर मारा, जिससे सिर फट गया। सूचक को बचाने उसका भाई पवन यादव आया, तो सौरभ कुमार ने सिर पर पिस्टल के बट से मारा, जिससे सिर से खून बहने लगा तथा गोपाल यादव एवं बबलू यादव की पत्नी तथा दो लड़कियां लात घूसा से मारने लगे। तब सूचक का भतीजा नीरज कुमार तथा ग्रामीण विकास कुमार, विभास कुमार बचाने आए, तो इन्हें भी सभी लोग मारने लगे। सभी का इलाज सदर अस्पताल मुंगेर में चला। सूचक के आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 109, 352, 351(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक आपस में पड़ोसी हैं। दोनों पक्षों में रास्ते में बैठने के कारण बकझक हुआ था। उभयपक्ष आपस में समझौता कर लिए हैं। आवेदक बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

लगातार

04.04.2026. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवेदक प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त है। आवेदक पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक तथा उसके भाई पवन कुमार एवं अन्य लोगों के साथ मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाया गया है। अभिलेख पर सभी जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है, जिसमें चिकित्सक द्वारा सभी जख्मियों के जख्मों को साधारण प्रकृति के बताए गए हैं। आवेदक पर धारा 109 बीएनएस का मामला बनता प्रतीत नहीं होता है। सूचक न्यायालय में उपस्थित है तथा दोनों पक्षों के बीच समझौता होने की बात का समर्थन करते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक गोपाल प्रसाद के तरफ से पांच हजार रुपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू, आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर, दाखिल करने पर तथा विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :

1. आवेदक के दोनों जमानतदार उसके ग्रामीण होंगे।

लेखापित

Sd/-

(राकेश कुमार सिंह)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 04.04.2026.

प्रतिलिपि:— श्रीमान् शक्तिमान भारती, न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति साथ मूल अभिलेख वापस भेजा जाता है।

लेखापित

(राकेश कुमार सिंह)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 04.04.2026.